तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त अहकाम ज हुक्म की त में जारी
20/7/22	प्रतिवादी पक्ष हाजिर। अधिवक्ता वादी हाजिर नहीं। प्रतिवादी द्वारा 11 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहर चौधरी द्वारा अधिवक्ता पत्र पेश किया गया जिसे रेकर्ड पर लिया जाता है। अधि0 वादी हाजिर नहीं आने से अधिवक्ता वादी के अभाव लगवाते नहीं, केवल हाजिर नहीं। अधि0 वादी हाजिर नहीं आने से अधि0 वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,89, RCA 1956 का उक्त पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। प्रार्थी को खारिज की जाकर की तामील निर्धारित इन्डेक्स की जाकर वाद अग्रग्रह कार्यवाही अभिलेख पर पेश की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर निस्तारण पत्र। (गीता जसोटा) सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राशमी 20/7/

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:43:58 IST
Reason: SelfAttested